जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 134 प्रभात चूरू, बुधवार 10 सितम्बर, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

विपक्ष व सत्ता पक्ष, दोनों के लिए चेतावनी हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे

विपक्ष के लिए कष्टदायक बात यह है कि, नवीन पटनायक की बीजेडी, तेलंगाना की बी. आर. एस. व पंजाब का अकाली दल अभी भी भाजपा की ''बी'' टीम जैसे ही काम कर रहा है

- रेनु मित्तल -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 9 सितम्बर। भाजपा के सी. पी. राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने जगदीप धनखड की जगह ली है, जिन्होंने रहस्य और सस्पेंस के बीच अज्ञात कारणो से पद छोड़ दिया था।

एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की इस चुनावी जंग में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग की खबरें रहीं।

विपक्षी सांसद पूरी तरह मौजूद रहे और सभी 315 सांसदों ने वोट डाला।

लेकिन विपक्ष को केवल 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य हो गए और क्रॉस वोटिंग की चर्चा भी रही।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम 15 विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की।

फिर भी विपक्ष के लिए अच्छी खबर यह रही कि उसे किसी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि पिछले चुनाव में विपक्ष (मार्गरेट अल्वा) को सबसे कम और एनडीए (जगदीप धनखड़) को सबसे ज्यादा वोट मिले थे।

नवीन पटनायक की बीजेडी, तेलंगाना की बीआरएस और पंजाब के अकाली दल ने मतदान से दूरी बनाई। इस वजह से उन पर आरोप लगा कि वे भाजपा की 'बी टीम' हैं और पहले की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इन पार्टियों ने, पहले की भांति वोट न करने का निर्णय लेकर, भाजपा को मूक समर्थन दिया है।
- भाजपा के लिए भी चिन्ता का विषय है कि, कई पार्टियां एन. डी. ए. से दूर होती जा रही हैं, और जो भाजपा के साथ बनी हुई हैं, वे मन से साथ नहीं, किसी न किसी मजबूरी के कारण जुड़ी हुई हैं।
- चर्चा है कि, भाजपा और तेलुगुदेशम पार्टी के बीच सम्बंध ''ठीक'' नहीं है और कभी भी विस्फोट हो सकता है।
- विपक्ष, पर इस बात से खुश है, कि उसके उम्मीदवार को इस बार जितने वोट मिले,अब तक किसी उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं मिले। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवार मारग्रेट अल्वा, अब तक के सबसे कम वोट मिले, तथा एन. डी. ए. के उम्मीदवार धनखड़ को अब तक के अधिकतम वोट मिले थे।
- हालांकि, भाजपा ने अपने प्रत्याशी को जिता तो लिया, पर गत चुनाव की तुलना में उसके प्रत्याशी को मिले वोट कम हुए हैं।

ब्लूटूथ से नकल करने वाले को जमानत नहीं

जयपुर, 9 सितंबर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने राजस्व अधिकारी और अधिशाषी अधिकारी भर्ती-2022 परीक्षा में नकल करने वाले आरोपी ओमप्रकाश कस्वां को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी बीएल चंदेल ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा के समय आरोपी ने ब्लूटूथ के जरिए नकल कर परीक्षा की दी थी। वर्तमान में ऐसे प्रकरण बढ़ ते जा रहे हैं और इससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह इस परीक्षा में परीक्षार्थी ही नहीं था और ना ही यह परीक्षा उसने पास की थी। इसके अलावा किसी अभियुक्त की सूचना मात्र के आधार पर प्रार्थी को घटना में लिप्त किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण के कई आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ओमप्रकाश कस्वां पर राजस्व अधिकारी व अधिशासी अधिकारी भर्ती-2022 परीक्षा में नकल करने का आरोप है।

नेपाल में जन आक्रोश का विशेष लक्ष्य ''कम्युनिस्ट'' नेता हैं

प्र.मंत्री के. पी. शर्मा ओली, जो चीन के पिछलग्गू माने जाते हैं, को चोरी छिपे भागकर बचना पड़ा, और अंत में इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए

- अंजन रॉय -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 9 सितम्बर। श्रीलंका और बांग्लादेश की पुनरावृत्ति भारत के तीसरे पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिल रही है। नेपाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा ने सरकार को उखाड़ फेंका है और स्थिति अब भयावह होती जा रही है।

नेपाल की स्थिति भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि उत्तर में नेपाल की सीमा चीन से लगती है। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो भारत को हस्तक्षेप के उपाय करने पड़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री ओली, जिन्हें चीनी समर्थक माना जाता है, अब छिप गए हैं। यह भी खबर है कि कुछ प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय शक्तियाँ इन जनविद्रोहों के पीछे सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

यह विरोध सत्ता में बैठे और पूर्व राजनीतिक नेताओं के प्रति गुस्से और घृणा का तीव्र जनप्रदर्शन है। अब यह जनक्रोध सत्ता और अधिकार के हर प्रतीक को नष्ट करने में लगा है।

हालाँकि, यह आंदोलन नेताविहीन है और पूरी तरह से जनता का स्वत:स्फूर्त आक्रोश है। अभी यह पूर्ण रूप से अनिश्चित है कि इस वैकल्पिक सरकार का नेतृत्व कौन करेगा।

देश अब अराजकता की ओर बढ़ रहा है, और काठमांडू की सड़कों पर जो दृश्य सामने आ रहे हैं, वे पूर्ण अराजकता और कानून के अभाव को दर्शाते हैं।

एक पूर्व मंत्री की पत्नी को ज़िंदा जला दिया गया। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्प कमल दहाल के घर को आग के हवाले कर दिया गया। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को गुपचुप ढंग से देश छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल के वित्त मंत्री को पकड़ कर सड़कों पर घसीटा गया। अन्य नेताओं को भी खदेड़ दिया गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पुष्प कमल दहल, जो कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, का मकान जला दिया गया। नेपाल के वित्त मंत्री को पकड़ कर, सड़क पर मार-मार कर दौड़ाया गया।
- युवा पीढ़ी (जनरेशन ज़ैड), यह देखकर काफी कुंठित और आक्रोश में थी कि कैसे मुट्ठी भर परिवार व स्थापित राजनीतिज्ञ, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और दुबई में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं।
- हालांकि, लगता तो ऐसा है कि, यह विद्रोह नेतृत्व विहीन व दिशा विहीन है पर, इतने बड़े आंदोलन को हवा देने व पनपाने के पीछे विश्व की बड़ी-बड़ी ताकतें हैं।

एन. डी. ए. के प्रत्याशी सी पी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित

राधाकृष्णन को 452 और विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। तीन दलों के बारह सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूरी बनाए रखी।

मंगलवार को उप-राष्ट्रपति पद के लिए मतदान चल रहा था, जिसमें सांसदों को एनडीए के सी.पी. राधाकृष्णन (महाराष्ट्र के राज्यपाल) और इंडिया ब्लॉक के जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश) के बीच चयन करना था।

ज्ञातव्य है कि तीन राजनीतिक दलों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण हुआ।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजू जनता दल (बीजेडी) ने घोषणा की कि उनके सांसद उप-राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करेंगे।

पार्टी ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा-नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक, दोनों से ''समान दूरी बनाए रखने'' की नीति के तहत लिया गया है। बीजेडी के पास राज्यसभा में सात सांसद हैं - निरंजन बिशी, सुलता देव, मुजीबुल्ला खान, सुभाशीष खुन्टिया, मानस रंजन मंगराज, सस्मित पात्रा, और देबाशीष सामंतराय। लोकसभा में पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- चर्चा रही कि 19 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग की चर्चा ने विपक्ष की एकजुटता के दावों की हवा निकाल दी
- बीजू जनता दल, बी आर एस और शिरोमणि अकाली दल के 12 सांसदों ने मतदान का बहिष्कार किया।
- बीजू जनता दल के पाले में 7, बी आर एस के चार और अकाली दल के खेमे में एक सांसद हैं।

एयर इंडिया व इंडिगो ने नेपाल की उड़ानें रद्द की

नयी दिल्ली, 09 सितंबर। नेपाल में बिगड़े हालात के मद्देनजर भारतीय विमान सेवा कंपनियों ने काठमांडू के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं।

टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि एयरलाइंस ने दिल्ली और काठमांडू के बीच आज की अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि एयरलाइंस स्थिति पर नजर रखे हुये है और आगे अपडेट साझा किये जायेंगे। एयर इंडिया की दिल्ली से काठमांडू के लिए आज चार उड़ानें थीं, जिन्हें रद्द कर दिया गया। वापसी की उड़ानें भी रद्द कर दी गयी हैं।

किफायती विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में बताया कि उसने काठमांडू में मौजूदा स्थिति और वहां

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- काठमांडू की कानून व्यवस्था की स्थिति तथा हवाई अड्डा बंद किए जाने के कारण यह कदम उठाया गया।

नेपाल के प्र.मंत्री ने इस्तीफा दिया, सेना के हैलीकॉप्टर में भागे

नेपाल के मंत्रियों ने भी इस्तीफे दिए और कहा, सरकार के साथ खड़े रहना संभव नहीं

- जाल खंबात -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 9 सितम्बर। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने मंगलवार को घातक भ्रष्टाचार-विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि देश की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी।

सैकड़ों लोग प्रशासन में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद (यानी शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों के बच्चों को अनुचित लाभ दिए जाने) के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए।

यह घटनाक्रम गत दो दिनों की हिंसक झड़पों के बाद सामने आया, जिनमें 19 लोग मारे गए। जैनरेशन ज़ी द्वारा शुरू किए गए इन प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध से हुई थी, लेकिन बाद में इनका केंद्र भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध और ओली के इस्तीफे की मांग बन गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों के साथ ही प्रधानमंत्री ओली और राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के निजी आवासों को भी आग के हवाले कर दिया।

प्रधानमंत्री ओली के सहयोगी प्रकाश सिलवाल ने रॉयटर्स को बताया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ओली को एक सैन्य हेलीकॉप्टर से काठमांडू छोड़ते हुए देखा गया।

मंगलवार सुबह ओली ने सभी नेपाली राजनीतिक दलों की एक बैठक की अध्यक्षता की और कहा, ''हिंसा राष्ट्र के हित में नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''हमें शांतिपूर्ण संवाद के ज़रिए इस समस्या का समाधान सुनिश्चित करना होगा।''

आन्दोलनकारी प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा मांग रहे थे।

हालांकि, नेपाल में प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने का मतलब यह नहीं है कि सरकार स्वत: गिर गई है। ओली नेपाल के कार्यकारी प्रमुख थे, लेकिन सरकार के प्रमुख राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल हैं। एन.टीवी को सूत्रों ने बताया कि अब देखना यह है कि राष्ट्रपति पौडेल भी इस्तीफा दें और सरकार पूरी तरह से गिर जाए।

फिलहाल, नेपाल सरकार का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

नेपाल के मंत्रियों ने यह कहते हुए इस्तीफा देने शुरू कर दिया कि- ''सरकार के साथ खड़ा रहना अब संभव नहीं।''

नेपाल के मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने मंगलवार को कहा था कि प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा नहीं देंगे, हालांकि काठमांडू में लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे - पहले सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस बीच कुछ मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि बाद में दिन में ओली ने जनता के दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया।

प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सार्वजनिक सभा पर लगी रोक को नज़रअंदाज़ किया और सुबह से ही कालनकी इलाके में टायर जलाकर सड़कों को जाम कर दिया। उन्होंने नारे लगाए ''केपी चोर, देश छोड़'' ''भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करो''।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सोमवार को ही ओली की तरफ से कहा गया था वे इस्तीफा नहीं देंगे और सोशल मीडिया से बैन भी नहीं हटाएंगे, इसके बाद जनाक्रोश और भड़क गया। उग्र युवाओं ने राष्ट्रपति पौडेल और प्रधानमंत्री ओली के निजी आवासों में आग लगाई।
- कई मंत्रियों को पीटा गया, पूर्व मंत्रियों व नेताओं को भी जनता बख्श नहीं रही है।

मोदी के बाद राहुल भी पंजाब, हिमाचल का दौरा करेंगे

नयी दिल्ली, 09 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बाढ़ ग्रस्त हिमाचल और पंजाब का दौरा करेंगे।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, गांधी की यात्रा का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन वे इसी सप्ताह हिमाचल प्रदेश और पंजाब जाएंगे और वहां बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि गांधी बाढ़ की स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं और उनका कहना है कि वे पीड़ितों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनका कहना था कि गांधी बाढ़ की स्थिति को लेकर बराबर हिमाचल सरकार के संपर्क में है। यह पूछने पर कि क्या गांधी बाढ़ पीड़ित उत्तराखंड भी जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि इसकी अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

- दौरे की तिथि अभी तय नहीं है, पर यह इसी सप्ताह होगा।

'धर्म परिवर्तन कराया तो 7 से 14 साल की जेल और 5 लाख रु. का जुर्माना देना होगा'

राजस्थान विधानसभा में धर्मान्तरण के विरोध में बेहद सख्त बिल पारित हुआ

जयपुर, 9 सितंबर । राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को, जबरन, छलपूर्वक या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया, राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025, विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच पारित हो गया। सत्ता पक्ष को इस विधेयक को पारित कराने में निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला, जबकि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने चर्चा से किनारा करते हुए सदन में शोर-शराबा किया और बाद में वॉकआउट कर दिया।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़ म ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए इसे समाज में समरसता बनाए रखने और खासकर कमजोर तबकों की सुरक्षा के लिए एक ''जरूरी और समयानुकूल कदम'' बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, बल्कि उन सुनियोजित प्रयासों पर भी लगाम लगाएगा, जिनके माध्यम से वर्षों से गरीब, वंचित और अशिक्षित लोगों को डर, लालच, या झूठे वादों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता रहा है।

विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दोषियों को 7 से 14 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, यदि पीड़ित अल्पवयस्क, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांगजन है, तो सजा 10 से 20 साल और जुर्माना 10 लाख रुपये तक हो सकता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर दोषियों को आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये जुर्माना देना होगा।

इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेशी या अवैध संस्थाओं से धर्मांतरण के लिए धन प्राप्त करता है, तो उसे 10 से 20 साल की कठोर सजा और 20 लाख रुपये जुर्माना भुगतना होगा। विवाह, धमकी या अन्य छलपूर्ण साधनों से धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए भी आजीवन कारावास और 30 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार, दोहराव करने वाले दोषियों को 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को धर्म बदलने से 90 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। इसके उल्लंघन पर 7 से 10 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्य को दो महीने पहले जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी, अन्यथा उन्हें 10 से 14 साल की सजा और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।

विधेयक पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसे सामाजिक संतुलन बनाए रखने वाला कदम बताया, जबकि विपक्ष ने आशंका जताई कि इसका दुरुपयोग कर अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा सकता है।

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में विदेशी ताकतें बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवा रही हैं, जिसे रोकना आवश्यक है। विधायक थावरचंद ने आदिवासियों की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं की बात करते हुए कहा कि शिक्षा की कमी के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

विपक्ष के विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि यह विधेयक पुलिस को अनुचित शक्तियां देकर भ्रष्टाचार और दमन का उपकरण बन सकता है। उन्होंने इसे सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ ावा देने वाला बताया।

विधेयक पर मतदान से पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सदन में हंगामा करते हुए कार्यवाही में व्यवधान डाला और बाद में चर्चा से दूर रहते हुए बहिर्गमन कर दिया। इस दौरान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- विधेयक के अनुसार अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिला या अनुसूचित जाति व जनजाति का धर्मान्तरण कराने पर 10 से 20 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना का प्रावधान है, सामूहिक धर्मान्तरण पर आजीवन कारावास और 25 लाख रु. के जुर्माना देना होगा।
- विपक्ष के भारी हंगामे के बीच भाजपा सरकार ने विधेयक पारित कर दिया।

पीटीआई महेन्द्र विश्नोई गिरफ्तार

जयपुर, 9 सितंबर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में अपनी जगह डमी परीक्षार्थी बैठाकर अनुचित साधनों से सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले एक आरोपित पीटीआई को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपनी जगह डमी परीक्षार्थी बैठाकर अनुचित साधनों से सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले एक आरोपी, महेन्द्र कुमार विश्नोई (26) निवासी कापरड़ा, जिला जोधपुर, वर्तमान में (पीटीआई) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चाडिया नाडी, हनुवंतनगर, शेरगढ़ जिला जोधपुर, को गिरफ्तार किया है।

- डमी परीक्षार्थी बैठा कर शारीरिक शिक्षक परीक्षा पास की थी।